तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर अहका हुक्म में
02/05/24	पत्रावली पेश। पत्रावली का अवलोकन किया गया। पूर्व में दिनांक 21/02/24 को वादी की ओर से प्रा. पत्र पेश कर निवेदन किया गया कि वादी सं 01, 02, 03, प्रति. सं. 2/1, 2/2, 2/3 का स्वर्गवास हो गया है, उनके का. मु. record पर लिये जावें। उक्त प्रा. पत्र के जवाब अनुसार- "वादी द्वारा केवल मात्र का. मु. कार्यवाही हेतु प्रा. पत्र पेश किया गया है, जबकि O22 R9 CPC सपठित section 05 of Limitation Act के साथ पेश होनी चाहिए। वादी सं. 01 का देहांत दिनांक 12/05/17, वादी सं. 02 का देहांत दिनांक 30/12/15, वादी सं. 03 का देहांत दिनांक 11/04/14, प्रति सं 2/2 का देहांत दिनांक 18/10/17, प्रति. सं. 2/3 का देहांत दिनांक 20/05/18 को हो चुका था। का. मु. की कार्यवाही 90 दिवस के भीतर की जानी चाहिए, अतः वाद उपशमन हो चुका है।" उपरोक्त के आधार पर प्रा. पत्र का निस्तारण निम्नानुसार किया जाता है- "As per O22 R3 (2) - Where within the time limited by law no application is made under sub-rule (1), the suit shall abate so far as the deceased plaintiff is concerned, and, on the application of the defendant, the court may award to him the costs which he may have incurred in defending the suit."	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय हस्ताक्षर व जज	नम्बर व तारीख कार्यवाही जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

लंबे समय से वाद में कोई प्रभावी कार्यवाही नहीं की जा रही है। प्रति. सं. 4/5, 4/6 के अनुसार वाद में कुछ अन्य पक्षकारों का भी देहांत हो चुका है, एक ही परिवार के सदस्य होने के बावजूद भी वादी द्वारा क्र. मृ. संबंधी कार्यवाही नहीं की जा रही है। बार-बार न्यायालय द्वारा निर्देशित करने के बावजूद प्रति. सं. 4/4, 05 के summon पेश नहीं किये जा रहे हैं।

As per O22 R4(3) - where within the time limited by law, no application is made under sub rule (1), the suit shall abate as against the deceased defendant.

As per O5 R1 & Section 27 of CPC - where a suit has been duly instituted, summons may be issued to the defendant to appear & answer the claim & may be served in manner prescribed on such day not beyond 30 days from date of institution of suit.

अतः O22 R3(2) CPC के तहत वाद, वादी सं. 01, 02, 03 की हद तक abate किया जाता है। O22 R4(3) के तहत वाद प्रति. सं. 2/2, 2/3, 2/1 की हद तक abate किया जाता है।

Section 27 CPC की पालना नहीं होने से शेष वाद अदम तकमील में खारिज किया जाता है।

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर अहकाम हुक्म में
	आदेश पढ़कर सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल- दफ्तर हो। Prinjai सहायक कलेक्टर (फास्ट ट्रेक) जोधपुर	

सहायक कलक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट (फास्ट ट्रेक) जोधपुर